



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(3)पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्था./पद./APO/2018/4345 जयपुर, दिनांक:- 6.10.22

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अपील संख्या 11340/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2022 के क्रम में विभागीय आदेश क्रमांक 3180 दिनांक 03.08.2022 की क्रम संख्या 4 जिसके द्वारा श्री धनपत सिंह राव, आरआरडीएस को विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडा जिला उदयपुर से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर किया गया था, को निरस्त किया जाता है। श्री धनपत सिंह राव यथावत विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडा जिला उदयपुर के पद पर कार्यरत रहेंगे।

श्री धनपत सिंह राव के स्थान पर पदस्थापित अधिकारी श्री मनहर विश्‍नोई को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति पंचायती राज विभाग, मुख्यालय पर देना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५७

(धनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
8. जिला कलक्टर, उदयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अपील संख्या 11340/2022 में तत्काल जवाब प्रस्तुत कर याचिका को निष्फल करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. आदेश पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)